Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पुलिस कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *03 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **मुकेश कुमार चौधरी कानिस्टेबल, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर** को परिवादी से 10 **हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अवैध शराब के मामले में पकड़ी गई बस को छुडवाने संबंधित फार्म भरकर आबकारी विभाग को भेजने की एवज में मुकेश कुमार चौधरी कानिस्टेबल, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश कुमार चौधरी कानिस्टेबल, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**